उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ

CIN:U32201UP1999SGC024928

संख्या : 1946-अ.प्र.-04, दिनांक : 22/7/25

कार्यालय ज्ञाप

एतदद्वारा अधोलिखित सहायक अभियन्ता को कारपोरेशन कार्यहित में स्तम्भ-3 में अंकित उनके वर्तमान तैनाती इकाई से स्थानान्तरित कर स्तम्भ-4 में लिखित इकाई को आवंटित किया जाता है:-

क्र. सं.	सहायक अभियन्ता का नाम, आई.डी., गृह जनपद, सेवानिवृत्ति तिथि	वर्तमान तैनाती इकाई	स्थानान्तरण के पश्चात आवंटित इकाई
1	2	3	4
1.	श्री अर्पित सिंह, 11004542/2018005, हरदोई, 31.12.2049	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, लखनऊ	यू.पी.एस.एल.डी.सी.लि., विभूति खण्ड, लखनऊ

2. उपरोक्त अभियन्ता को प्रबन्ध निदेशक, यू.पी.एस.एल.डी.सी.लि. के अनुरोध पर यू.पी.एस.एल.डी.सी.लि. में तीन वर्ष अथवा अग्रिम आदेश, जो भी पहले हो, तक secondment के रूप में तैनाती प्रदान की जाती है। उक्त अवधि के पश्चात यह तैनाती समाप्त मानी जाएगी।

3. निदेशक, यू.पी.एस.एल.डी.सी.लि. उपरोक्त अभियन्ता को तीन वर्ष अथवा अग्रिम आदेश, जो भी पहले हो, के पश्चात यू.पी.एस.एल.डी.सी.लि. से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यमुक्त कर देंगे।

4. उपरोक्त अभियन्ता यू.पी.एस.एल.डी.सी.लि. से कार्यमुक्त होने के पश्चात कारपोरेशन (मु.) अथवा नव तैनाती स्थल, जो भी लागू हो, में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे। यदि तीन वर्ष अथवा निर्धारित अवधि के उपरान्त वह नव तैनाती स्थल पर आकर कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो यह समझा जाएगा कि वह नव तैनाती स्थल पर कार्य करने के इच्छुक नहीं हैं, तदनुसार विभागीय प्रक्रिया आरम्भ कर दी जाएगी।

5. उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 21.03.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप है।

6. नियंत्रक अधिकारी का दायित्व होगा कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश संख्याः 5910-गोपन(06)/पाकालि/2001, दिनांक 11.06.2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वांकन का प्रस्तुतीकरण नियमानुसार सुनिश्चित करें।

7. उपरोक्त अधिकारी को स्थानीय व्यवस्था द्वारा कार्यभार से तत्काल अवमुक्त कर दिया जाए।

8. यदि वर्तमान तैनाती की इकाई, अंकित इकाई से भिन्न है, उस दशा में कार्यालय ज्ञाप में अंकित इकाई के स्थान पर वास्तविक वर्तमान तैनाती की इकाई प्रत्येक व्यावहारिक उद्देश्य के लिए मान्य होगी।

अध्यक्ष

संख्या : 1946(i)-अ.प्र.-04, तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु कृपया प्रेषितः-

1. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/समस्त निदेशक के निजी सचिव, उ.प्र.पा.का.लि., लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, लखनऊ।
3. निदेशक, यू.पी.एस.एल.डी.सी.लि., लखनऊ को बिन्दु सं. 3 के अनुरूप ससमय कार्यवाही हेतु।
4. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. उप सचिव (गोपन)/अनु सचिव (गोपन), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. सम्बन्धित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली।

22/07/2025

(उमेश सिंह यादव)
उप सचिव (04)